कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-09/2024 **दिनांक 25/09/2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 24.09.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. STF यूनिट नोएडा, कोतवाली गहमर जनपद ग़ाज़ीपुर, GRP दिलदारनगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 100000/- रुपये का इनामिया बदमाश पुलिस मुठभेड़ में मृत जिसके कब्जे से 01 अदद अवैध पिस्टल .32 व 02अदद खोखा कारतूस .32 बोर व 1 बैग अवैध देसी शराब बरामद।

आज दिनाँक 23-09-2024 को ग़ाज़ीपुर में दिनाँक 19/20 अगस्त की रात में हुई दो आरपीएफ़ के आरक्षियों ज़ावेद ख़ान और प्रमोद कुमार के हत्या के सनसनीख़ेज़ अपराध में वांछित चल रहे अभ्युक्तगण की यूपीएसटीएफ़ की नोएडा यूनिट GRP दिलदारनगर और ग़ाज़ीपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम गोपालपुर थाना दिलदार नगर ग़ाज़ीपुर क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। जिसमे एक बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ में पुलिस टीम द्वारा भी फायर किया गया। जिसमें एक़ बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल बदमाश को उपचार हेतु CHC भदौरा भेजा गया। तत्पश्चात् जिला अस्पताल ग़ाज़ीपुर रवाना किया गया है जहाँ डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया व एक़ अन्य अज्ञात बदमाश अँधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गया। मृत बदमाश के ऊपर अपहरण , मारपीट और शराब तस्करी के कई केस दर्ज है।

उल्लेखनीय है कि 19/20 अगस्त की रात्रि में आरपीएफ़ के दो सिपाहियों जावेद ख़ान और प्रमोद जो ट्रेन नंबर 15631 बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में अवैध शराब की तस्करी को रोकने का प्रयास कर रहे थे। जिस दौरान शराब तस्करों ने दोनों आरक्षियों को बीभत्स तरीक़े से मारपीट करके चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया था। जिसके परिणामस्वरूप दोनों आरक्षियों की मृत्यु हो गई थी। इस अभियोग में मोहम्मद ज़ाहिद वंचित चल रहा था और उसपर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था। पूरे घटनाक्रम के दौरान दो पुलिस मुख्य आरक्षी भी गोली लगने से घायल हुए जिनको तत्काल उपचार हेतु CHC भदौरा भेजा गया।

नाम पता अभियुक्त-

मोहम्मद ज़ाहिद उर्फ सोनू पुत्र मुश्तफ़ा निवासी मंसूर गली पेढ़िमा बाज़ार , फुलवारीशरीफ़ पटना बिहार

आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 144/2024 धारा 103(1) BNSथाना गहमर

2 मु 0अ0स0 141/22 धारा 30(A) EXCISE एक्ट GRP दानापुर

3 मु0अ0स0 174/22 धारा 30(A) एक्साइज एक्ट पटना

4मु0अ0स0 474/24 धारा 323 34 341 342 365 504 506 ipc थाना फुलवारी सरीफ जिला पटना

मुठभेड़ टीम/गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक गहमर अशोक मिश्र मय टीम

2.STF नोएडा यूनिट

3.GRP दिलदारनगर

मुकदमा उपरोक्त में अबतक गिरफ़्तार/घायल हुए अभियुक्तों का विवरण

1 प्रेमचंद वर्मा पुत्र वीरेंद्र ग्राम भगवतीपुर थाना बिहटा पटना (मुठभेड़ में घायल दिनांक 28.08.2024)

2. विनय पुत्र राजू प्रसाद ग्राम जानीपुर थाना जानीपुर पटना बिहार (गिरफ़्तारी दिनांक 27.08.2024)

3. पंकज पुत्र सालिग़राम ग्राम न्यूरा कॉलोनी पटना बिहार (गिरफ़्तारीदिनांक 27.08.2024)

4. बिलेन्द्र पासी पुत्र महेंद्र ग्राम उसरी बाजार थाना शाहपुर पटना बिहार (गिरफ़्तारी दिनांक 27.08.2024)

5. रवि कुमार पुत्र धर्मेंद्र प्रसाद ग्राम खगोल थाना खगोल पटना (गिरफ़्तार दिनांक 30.08.2024)6. रवि पुत्र बिंदेश्वरी ग्राम ढंडीहा थाना कोइलवर जिला भोजपुर आरा बिहार (मुठभेड़ में घायल दिनांक 21.09.2024)

7.मोहम्मद ज़ाहिद उर्फ सोनू पुत्र मुश्तफ़ा निवासी मंसूर गली पेढ़िमा बाज़ार , फुलवारी शरीफ़ पटना बिहार(मुठभेड़ में घायल/मृत्यु दिनांक 23.09.2024)

02. थाना जमानिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 272/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 23.09.2024 को उ0नि0 बालेन्द्र कुमार मय हमराहियान के देखभाल क्षेत्र व अवैध शराब के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत चेकिंग संदिग्ध वाहन व व्यक्ति में मामूर थे कि मुखवीर खास की सूचना के आधार पर बिक्री हेतु बिहार ले जाते समय करीब 18.30 बजे तालाशपुर मोड़ से देवढ़ी जाने वाले मार्ग पर नहर के किनारे रास्ते पर के पास से 40 अदद अवैध देशी शराब (ब्लू लाइम) अभियुक्त के पास से बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. विनोद मुसहर पुत्र स्व0 दासी मुसहर उर्फ जोगी निवासी रामगढ़ थाना रामगढ़ जिला कैमूर (भभुआ) बिहार उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी – 40 अदद अवैध देशी शराब (ब्लू लाइम)

आपराधिक इतिहास – मु0अ0सं0 272/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना जमानिया जनपद गाजीपुर।

03. थाना जमानिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 273/2024 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम में नाजायज 329 केन किंगफिशर के साथ 03 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।*

अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 23.09.2024 को उ0नि0 अरूण पाण्डेय मय हमराहियान के देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध वाहन व व्यक्ति में मामूर थे कि मुखवीर खास की सूचना के आधार पर बिक्री हेतु बिहार ले जाते समय करीब 23.30 बजे हेतिमपुर पुलिया के पास से 329 केन किंगफिशर स्ट्रान्ग मल्ट वियर 500 मिली एंव टूवर्ग प्रिमियर वियर 500 मिली नाजायज अभियुक्तगण के पास से बरामद किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता</u>–

1 . धनन्जय यादव पुत्र मंगला यादव निवासी दौदही थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर उम्र करीब 25 वर्ष।

2 .राहुल कुमार पुत्र राजेश्वर सिंह निवासी महतनीया थाना उदवन्त नगर जनपद भोजपुर बिहार उम्र करीब 19 वर्ष।

3 .रोहित कुमार पुत्र कल्लू सिंह निवासी बडीहा थाना सन्देश जिला भोजपुर बिहार उम्र करीब 21 वर्ष।

<u>बरामदगीः-</u>

329 केन किंगफिशर स्ट्रान्ग मल्ट वियर 500 मिली एंव टूवर्ग प्रिमियर वियर 500 मिली नाजायज

<u>आपराधिक इतिहास</u> – मु0अ0सं0 273/2024 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना जमानिया जनपद गाजीपुर।

<u>04. थाना भुड़कुड़ा पुलिस द्वारा दिनांक 24.09.2024 को थाना भुड़कुड़ा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम डिहवा मे पिकअप रोककर रंगदारी माँगने व मना करने पर लात-मुक्का व थप्पड़ से मारने व मां-बहन की भद्दी-भद्दी गाली देने वाले का सफल अनावरण करते हुए 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।</u>

अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 24.09.2024 को थाना भुड़कुड़ा क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त सूरज उर्फ सागर सिंह पुत्र त्रिभुवन सिंह निवासी डिहंवा थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर द्वारा पिकअप रोककर रंगदारी माँगने व मना करने पर लात-मुक्का व थप्पड़ से मारने व मां-बहन की भद्दी-भद्दी गाली देने के सम्बन्ध में थाना भुड़कुड़ा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 126/2024 धारा 308(5)/115(2)/352/351(3) बी0एन0एस0 थाना भुड़कुड़ा गाजीपुर में थाना भुड़कुड़ा पुलिस टीम द्वारा लगातार किये जा रहे प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 24.09.2024 को उपरोक्त मुकदमे से संबंधित 01 नफर अभियुक्त सूरज उर्फ सागर सिंह पुत्र त्रिभुवन सिंह निवासी डिहवां थाना भुडकुडा जनपद गाजीपुर को हरिहर मोड से बहरियाबाद जाने वाले सडक पर समय करीब 11.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

<u>गिरफ्तार शुदा अभियुक्त</u>

1.सूरज उर्फ सागर सिंह पुत्र त्रिभुवन सिंह निवासी डिहवां थाना भुडकुडा जनपद गाजीपुर

<u>अपराधिक इतिहास अभियुक्त ---</u>

1.मु0अ0सं0 79/2023 धारा 323/504/506 भादवि थाना भुडकुडा गाजीपुर

2. मु0अ0सं0 188/2020 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना भुडकुडा गाजीपुर

3.मु0अ0सं0 2285/2021 धारा 323/504/506 भादवि थाना भुडकुडा गाजीपुर

4.मु0अ0सं0126/2024 धारा 308(5)/115(2)/352/351(3) बी0एन0एस0 थाना भुडकुडा गाजीपुर

05. थाना दुल्लहपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 130/24 धारा 87 बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

अपराध एंव अपराधियो के व विरुद्ध सघन अभियान के तहत थाना दुल्लहपुर क्षेत्रांतर्गत वादी मुराली राम पुत्र छट्टू राम नि0 रामपुर पतारी थाना दुल्लहपुर गाजीपुर द्वारा अपने लड़की को अभियुक्त द्वारा भगा ले जाने के सम्बन्ध में तहरीर दिया गया था प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर दिनांक 11.09.2024 को मु0अ0सं0 130/24 धारा 87 बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा एवं विवेचना के आधार पर धारा 64(1),115(2) BNS का बढ़ोत्तरी करते हुए मुकदमे में नामित अभियुक्त अजय कुमार पुत्र केदार राम उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम बड़ागाँव थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर, जो काफी दिन से फरार चल रहा था, जिसको मुखबिर की सूचना पर उ0नि0 सर्वजीत यादव मय हमराह का0 रोहित कुमार व का0 विनोद भारती द्वारा आज दिनांक 24.09.2024 को समय करीब 10.30 बजे दुल्लहपुर बाजार में चौहान मार्केट के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त–

1. अजय कुमार पुत्र केदार राम उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम बड़ागाँव थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास –

(1) मु0अ0सं0 130/24/24 धारा 87,64(1),115(2) BNS थाना दुल्लहपुर गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर